



पश्चिम मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय

वाणिज्य विभाग, जबलपुर

क्रं. जबल/वा/170/सा.स्कू.कार स्टै./मदनमहल/22

दिनांक 31.03.2022

**ई-कोटेशन सूचना**

**ई-कोटेशन सूचना संख्या : 7-2022**

मदनमहल स्टेशन के लिये साइकिल/स्कूटर/कार पार्किंग स्टैण्ड के लिए मंडल रेल प्रबंधक (वा), जबलपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से तीन माह की अवधि के लिए ई-कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। विवरण निम्नानुसार है-

लोकेशन पार्किंग क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	आरक्षित मूल्य (तीन माह के लिए)	बयाना राशि	कोटेशन प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय	कोटेशन खुलने की तिथि एवं समय
मदनमहल (अप एंड डाउन)	5498.92 वर्ग मी. (अप एंड डाउन)	रु 10,21,888/-	रु 51,100/-	दिनांक 08.04.2022 समय 15:00 बजे	दिनांक 08.04.2022 समय 15:30 बजे

**दर सूची (साइकिल/स्कूटर/कार स्टैण्ड)**

समयावधि	दोपहिया वाहनों के लिये	चार पहिया वाहनों के लिये
12 घंटे तक के लिए	10/- रु	20/-रु
12 घंटे से अधिक या 24 घंटे या उसके भाग के लिये	20/-रु	40/-रु

**मासिक दर सूची दो पहिया वाहनों (साइकिल/स्कूटर) के लिये**

समयावधि	दो पहिया वाहनों के लिये
प्रतिदिन यात्रियों एवं सीजनटिकिट धारक के लिये	200/-रु
स्टेशन प्रबंधकों द्वारा प्राधिकृत न्यायिक कर्मचारी/शासकीय रेल पुलिस/पार्सल लोडर/प्रेस कर्मी/लाइसेंसी कर्मचारी	150/-रु
रेल कर्मचारी जो कि उस स्टेशन पर कार्यरत है	100/-रु

कोटेशनदाता को निम्न दस्तावेज कोटेशन के साथ स्वयं द्वारा सत्यापित कर IREPS की वेबसाइड पर अपलोड करना होंगे :-

1. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। आयु संबंधी प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा सत्यापित)।
2. संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र (कोटेशन दिनांक से 06 माह पूर्व नहीं होना चाहिए)
3. स्थायी पता संबंधी प्रमाण पत्र (स्वयं द्वारा सत्यापित)।
4. फोटो पहचान पत्र (स्वयं द्वारा सत्यापित)।



प्रस्तावित लाईसेंस फीस पर 18% जी.एस.टी (9% एस.जी.एस.टी +9% सी.जी.एस.टी.)/ आई.जी.एस.टी सीधे जीएसटी विभाग को जमा करना होगा। सफल कोटेशनकर्ता को प्रस्तावित लाईसेंस फीस की 15 दिन के बराबर राशि सुरक्षा निधी के रूप में एफ.डी.आर./डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **Sr.DFM/WCR/Jabalpur** के पक्ष में जमा करना होगा जिसकी वैद्यता कम से कम 120 दिन की होनी चाहिए एवं रेलवे द्वारा निर्धारित अनुबंध में हस्ताक्षर हेतु कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा।

रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी शर्तें मान्य होगी। रेल प्रशासन को बिना कारण बताये किसी भी कोटेशन को स्वीकार या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

जबलपुर मंडल के वाणिज्य विभाग में किसी भी कार्यालयीन दिवस पर कोटेशन सम्बंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा IREPS की वेबसाइट [www.ireps.gov.in](http://www.ireps.gov.in) पर जाकर भी उपलब्ध की जा सकती है।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)/जबलपुर  
कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से